Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-II/ 5223 **Dated:** 11/1/18

-: कार्यवाही विवरण :-

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड की **10**वीं बैठक, जो दिनांक **20** दिसम्बर, **2017** को सांय **6.00** बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, पुलिस मुख्यालय, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित सम्भाषा कक्ष में आयोजित की गई थी, में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित हुए

1. डॉ. भूपेन्द्र सिंह, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री ओ.पी.गल्होत्रा, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान
3. श्री सौरभ श्रीवास्तव, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
4. डॉ. सी बी शर्मा, (आई पी एस) रिटायर्ड
5. श्री राजकुमार अरोड़ा, आचार्य, सिक्योरिटी एण्ड इन्टेलीजेन्स स्टडीज़, एसपीयूपी, जोधपुर
6. श्री जे सी पुरोहित, कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

श्री बी बी अरोड़ा, **Director, (SFSL)**, राजस्थान, जयपुर विशेष आमन्त्रण पर बैठक में उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त बैठक की आवश्यक व्यवस्थाओं एवं बैठक के चर्चा बिन्दुओं से सम्बन्धित आवश्यक सहयोग एवं जानकारी तत्काल प्रदान करने हेतु, डॉ विनय कौड़ा, समन्वयक, सीपीसीएस, श्री अर्जुन चौधरी, सहायक आचार्य, श्रीमती डिम्पल पवार आर्य उप-कुलसचिव, श्री हिमान्शु शर्मा निजी सचिव एवं श्री अनुज त्यागी, निजी सहायक भी बैठक में उपस्थित हुए।

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित नहीं हुए-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. श्रीमती पूनम सक्सेना, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
5. श्री सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर
6. श्री श्रीराम अरूण, विज्ञानपुरी महानगर, लखनऊ (माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा मनोनीत)

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा, विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ सी बी शर्मा का परिचय करवाते हुए, सदस्यमहानुभावों के स्वागतोपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में संचालित की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए, बिन्दुवार चर्चा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये-

बिन्दु संख्या-10/1: **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की नवम् बैठक दिनांक 24 अप्रेल 2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

<u>निर्णय-10/1</u>-: प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या-10/2: **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 24 अप्रेल 2017 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना का विवरण।**

<u>निर्णय-10/2</u>: प्रबन्ध बोर्ड की नवम बैठक दिनांक **24 अप्रेल 2017** के कार्यवाही विवरणानुसार, विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुपालना-प्रतिवेदन का सर्वसम्मति अनुमोदन किया गया एवं सदस्य महानुभावों द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करने के लिए कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

<u>बिन्दू सं. 9/3</u> विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम **5 ईयर इंटिग्रेटेड कोर्स इन सोशियल साईन्स** को, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा एक वर्ष के लिए स्थगित करने तथा एक वर्ष उपरान्त उक्त पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में, पुनर्विचार करने हेतु **उक्त बिन्दू पर प्रबंधन बोर्ड की आगामी बैठक में विचार करने हेतु निर्णय लिया गया।**

<u>बिन्दू सं. 9/11</u> विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त, गृह (ग्रुप-11) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर में अतिरिक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त, जयपुर द्वारा पत्रांक प.29(6)शिक्षा-4/2013 दिनांक 18.08.2017 के तहत पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु एक नवीन पद सृजन की सहमति प्रदान की गई जो कि सेवानिवृत्त कार्मिक से संविदा आधार पर भरा जावेगा। **सदस्यों द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु सेवानिवृत्त कार्मिक से संविदा आधार पर नियुक्ति करने के संबंध में कुलसचिव को आवयश्क कार्यवाही आरंभ करने के लिये कहा गया।**

बिन्दु संख्या-10/3: विश्वविद्यालय से सम्बद्ध **"Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-Insurgency"** की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार।

कुलपति द्वारा सदस्यों को जानकारी दी गई कि केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर में **"Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-Insurgency"** की स्थापना हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के मार्फत भेजा गया था। भारत सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के तहत जयपुर में **"Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-Insurgency"** का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। उक्त केन्द्र की स्थापना के लिये कुल राशि रु. 275 करोड़ आवंटित किये गये है जिसमे से रु. 165 करोड़ केन्द्र सरकार एवं रु. 110 करोड़ राज्य सरकार द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।

11/1/18

केन्द्र की स्थापना, संचालन एवं प्रारुप पर विचार-विमर्श करने हेतु तत्कालीन महानिदेशक पुलिस द्वारा एक कमेटी गठित की गई जिसकी बैठक दिनांक 29.11.2017 को वर्तमान महानिदेशक पुलिस एवं तत्कालीन अतिरिक्त महानिदेशक (आर.ए.सी.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रस्तवित केन्द्र के विभिन्न बिन्दुओं जैसे Governance, Land and Infrastructure, Staffing and Financial Management पर चर्चा की गई। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण संलग्न है। साथ ही यह भी विचार किया गया कि केन्द्र की स्थापना हेतु एक सोसाईटी का गठन सोसाईटिज एक्ट के तहत किया जावे। उक्त संस्थान स्थाई भूमि अवाप्ति एवं निर्माण होने तक राजस्थान पुलिस अकादमी में हाल ही में रिक्त हुए एस.टी.एस. भवन से संचालित किये जाना प्रस्तावित है।

कुलपति द्वारा सदस्यों को यह भी जानकारी दी गई कि माननीय मुख्यमंत्रा महोदया राजस्थान द्वारा बजट 2017 में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के तहत **Institute of Foransic Science** की स्थापना की घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियानवयन के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमे उक्त संस्थान को "Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-Insurgency" के साथ राजस्थान पुलिस अकादमी के एस.टी.एस. भवन से संचालित किये जाने की अनुशंसा कि गई है ताकि जयपुर में स्थित State Forensic Science Laboratory में उपलब्ध संसाधनों एवं फैकल्टी इत्यादि का लाभ संस्थान को मिल सके।

सभी सदस्य महानुभावों द्वारा प्रस्तावित संस्थान जयपुर में स्थापित किये जाने पर अपनी सहमती प्रकट की, साथ ही राज्य सरकार के माध्यम से जयुपर विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन के लिये प्रस्ताव भेजने के संबंध में कार्यवाही की जावें।

निर्णय-10/3- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध **"Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-Insurgency"** एवं **Institute of Foransic Science** की स्थापना जयुपर में किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या-10/4- विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् की गत दो बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

उपकुलसचिव द्वारा सदस्यों महानुभावों को बताया गया कि दिनांक 06 अप्रेल एवं 23 अगस्त, 2017 को अकादमिक परिषद् की बैठकें आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यतः सेवारत पुलिसकर्मियों के लिये विभिन्न सर्टिफिकेट एवं डिपलोमा पाठ्यक्रम आरंभ किये जाने, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, केन्द्रों के द्वारा पी.एच.डी आरंभ किये जाने एवं रिसर्च गाईड चिन्हित किये गये।

कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् द्वारा विभिन्न सर्टिफिकेट एवं डिपलोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति सर्शत दी गई थी जिसमे सभी सर्टिफिकेट एवं डिपलोमा कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम सर्वप्रथम हिन्दी में तैयार किये जाने थे जो कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है। अतः उक्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही सर्टिफिकेट एवं डिपलोमा कार्यक्रम आरंभ करने हेतु उपकुलसचिव को निर्देशित किया।

11/1/18

निर्णय-10/4- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् की दिनांक 06 अप्रेल एवं 23 अगस्त, 2017 को हुई बैठकों की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। साथ ही कुलपति महोदय एवं सदस्य महानुभावों द्वारा विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव को निर्देशित किया गया कि समस्त विभागों एवं केन्द्रों में पी.एच.डी. रिसर्च गाईड की योग्यता रखने वाले शिक्षकगणों को पी.एच.डी. कराने हेतु विज्ञापन जारी किया जावें।

विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् द्वारा विभिन्न सर्टिफिकेट एवं डिपलोमा पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम हिन्दी में तैयार किये जाने हेतु उपकुलसचिव को निर्देर्शित किया गया।

-: टेबल एजेण्डा :-

टेबल एजेण्डा बिन्दुः 10/1: विश्वविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक कार्मिकों हेतु 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये प्रकरण का अनुमोदन।

सदस्यों महानुभावों को बताया कि वित्त विभाग (नियम खण्ड), राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा राज्य कर्मचारियों हेतु दिनांक **01.10.2017** से 7वां वेतन लागू किया गया था और दिनांक **01.10.2017** से कार्यरत कर्मचारियों के वेतन नियतन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक मार्ग-निर्देशिका (नियमावली) जारी की गई थी।

विश्वविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक कार्मिकों हेतु दिनांक **01.01.2016** से 7वां वेतन आयोग लागू करने एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन नियतन किये जाने एवं वेतन नियतन उपरान्त एरियर राशि का भुगतान करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

निर्णय टेबल एजेण्डा 10/1- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक कार्मिकों हेतु 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की गई ।

टेबल एजेण्डा बिन्दुः 10/2 विश्वविद्यालय में एक्ट में संशोधन एवं सैटेलाईट कैम्पस, जयपुर में स्थापित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखे जाने के प्रस्ताव पर विचार।

कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों से विश्वविद्यालय में एक्ट में संशोधन एवं सैटेलाईट कैम्पस, जयपुर में स्थापित किये जाने के संबंध में निम्न बिन्दूओं पर विचार किया गयाः

(क) राजस्थान पुलिस में सेवारत पुलिसकर्मियों के लिये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में सर्टिफिकेट/डिपलोमा कार्यक्रम आरंभ करने हेतु विश्वविद्यालय के एक्ट में दूरस्थ शिक्षा

11/1/18

का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है जिससे हमारे पुलिसकर्मी अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित हो सके।

(ख) विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर नियुक्ति की योग्यता एवं पात्रता में संशोधन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा की जिसमे कुलसचिव के पद पर चयन राजस्थान प्रशासनिक एवं समानान्तर सेवाओं से न्यूनतम 3 वर्ष के लिये, सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के द्वारा की जावे।

(ग) विश्वविद्यालय के एक्ट के सेक्शन 3 (4) के अनुसार राज्य सरकार की अनुमति के उपरान्त सैटेलाईट कैम्पस, स्थापति किये जाने का प्रावधान है जिसके तहत **"Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-Insurgency"** एवं **"Institute of Foresic Science"** जयपुर में स्थापित किया जा सकता है।

निर्णय टेबल एजेण्डा 10/2- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन एवं सैटेलाईट कैम्पस, जयपुर में स्थापति किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखे जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

आसन को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(जे सी पुरोहित)
कुलसचिव

Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-II/ 5224-36 **Dated:** 11/1/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान
5. माननीय कुलपति, एसपीयूपी, जोधपुर
6. श्री सौरभ श्रीवास्तव, **ADG,** निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
7. श्रीमती पूनम सक्सेना, मा.कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
8. श्री सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर
9. श्री श्रीराम अरूण, **D 8,** विज्ञानपुरी, महानगर, लखनऊ-**226006**
10. डॉ. सी बी शर्मा (आई पी एस) रिटायर्ड, जयपुर।
11. डॉ. बी.बी. अरोड़ा, निदेशक, एसएफएसएल, जयपुर।
12. श्री राजकुमार अरोड़ा, आचार्य, सीपीसीएस, एसपीयूपी, जयपुर
13. निजी सहायक, कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

11/1/13
कुलसचिव
एसपीयूपी, जोधपुर